भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 2610
सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना

2610. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटकों की सुरक्षा और विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय सहित सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) डिजिटल पर्यटन सेवाओं, एकीकृत प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी-आधारित पर्यटक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा सुविधा और वहनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों सहित नीतिगत या विनियामक हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाज़त अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ज़मीनी तौर पर पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने अपने-अपने यहां पर्यटन पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के अंतर्गत **'**महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल**'** का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है**,** जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन की आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से, महिलाओं एवं बच्चों, दोनों को शोषण से मुक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान जैसे

मुलभूत अधिकारों के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत-युक्त बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत में यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने आवास इकाइयों के वर्गीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने, उनपर कार्रवाई करने और अनुमोदन प्रदान करने तथा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। आवेदन राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) नामक पोर्टल, यथा nidhi.tourism.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रणाली को पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा गया है।

पर्यटन स्थल के विकास के लिए प्रभावी और अनुकूल कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यटन मंत्रालय उच्च क्षमता वाले महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और अल्प ज्ञात/नए पर्यटन स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत समन्वय स्थापित किया है और इस उद्देश्य हेतु चिह्नित 53 पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ) राशि साझा कर रहा है।

*****